न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 804/2024

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. चावली पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. सुभाष पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. बनवारी लाल पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. संतोष पुत्री रावताराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. सावत्री पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. पार्वती पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. मैना पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. धापा पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
6. हंसराज पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
7. प्रताप पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
8. ओमप्रकाश पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 02/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 521/521 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.6670 है0 भूमि में से 1842/23335 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादीया संख्या 1 ने जरिये दस्तबरदारी दिनांक 22.06.2015 को उपरोक्त भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने तीनो भाईयों काशीराम, धर्मपाल, लाधुराम पि0 रावताराम के पक्ष में ब0 हि0 ब0 हम त्याग कर दिया था लेकिन लाधुराम, काशीराम पि0 रावताराम के स्वर्गवास होने के कारण दस्ताबरदारी का नामान्तरण दर्ज नहीं हो सका। प्रतिवादीया संख्या 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 5 जो कि वादी संख्या 3 ता 4 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा आना सम्पूर्ण हक हिस्सा परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा [illegible] परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि के 1/3 हिस्सा पर [illegible] 1/3 हिस्सा पर वादीया संख्या 2 काबिज है एवं शेष 1/3 हिस्सा पर [illegible] 3 ता 4 काबिज [illegible]दीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:38:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है प्रतिवादीया संख्या 1 ने जरिये दस्तबरदारी दिनांक 22.06.2015 को उपरोक्त भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने तीनो भाईयों काशीराम, धर्मपाल, लाधुराम पि0 रावताराम के पक्ष में ब0 हि0 ब0 हम त्याग कर दिया था लेकिन लाधुराम, काशीराम पि0 रावताराम के स्वर्गवास होने के कारण दस्ताबरदारी का नामान्तरण दर्ज नहीं हो सका। प्रतिवादीया संख्या 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 5 जो कि वादी संख्या 3 ता 4 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा आना सम्पूर्ण हक हिस्सा परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपनी माता के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि के 1/3 हिस्सा पर वादी संख्या 1 काबिज है तथा 1/3 हिस्सा पर वादीया संख्या 2 काबिज है एवं शेष 1/3 हिस्सा पर वादी संख्या 3 ता 4 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:38:02 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने निवे[illegible]तृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के [illegible]को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 147/135 की कुल 6.5210 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि प्रतिवादीया संख्या 1 ने जरिये दस्तबरदारी दिनांक 22.06.2015 को उपरोक्त भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने तीनो भाईयों काशीराम, धर्मपाल, लाधुराम पि0 रावताराम के पक्ष में ब0 हि0 ब0 हम त्याग कर दिया था लेकिन लाधुराम, काशीराम पि0 रावताराम के स्वर्गवास होने के कारण दस्ताबरदारी का नामान्तरण दर्ज नहीं हो सका। प्रतिवादीया संख्या 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 5 जो कि वादी संख्या 3 ता 4 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा आना सम्पूर्ण हक हिस्सा परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपनी माता के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि के 1/3 हिस्सा पर वादी संख्या 1 काबिज है तथा 1/3 हिस्सा पर वादीया संख्या 2 काबिज है एवं शेष 1/3 हिस्सा पर वादी संख्या 3 ता 4 काबिज है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 521/521 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.6670 है0 भूमि में से 1842/23335 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलजमन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का वादी स0 1 को, 1/3 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 को तथा 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील ज़ाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/9/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:38:02 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 804 / 2024

अनवान : –

1. धर्मपाल पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. चावली पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. सुभाष पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. बनवारी लाल पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. संतोष पुत्री रावताराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. सावत्री पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. पार्वती पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. मैना पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. धापा पुत्री लाधुराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
6. हंसराज पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
7. प्रताप पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
8. ओमप्रकाश पुत्र काशीराम जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 804 सन 2024 निर्णय दिनांक 02/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 521 / 521 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 4.6670 है0 भूमि में से 1842 / 23335 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलजमन किया जाकर 1 / 3 हिस्सा भूमि का वादी स0 1 को, 1 / 3 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 2 को तथा 1 / 3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:38:02 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर